

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 700774/16

संस्थित दिनांक-07.12.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी  
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. नारायणसिंह पुत्र मोतीराम जाटव उम्र 61 साल
  2. जनकसिंह पुत्र मोतीराम जाटव उम्र 52 साल
- निवासी कदमन का पुरा थाना एण्डोरी  
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 19.04.2017 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324, 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 10.11.16 को सुबह 10 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र एण्डोरी अंतर्गत ग्राम कदमन का पुरा में फरियादी अशोक जाटव के घर के सामने फरियादी अशोक की मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रशरण में कुल्हाड़ी जिसके घातक हथियार के रूप में प्रयोग करने पर मृत्यु होना संभव थी, से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324, 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी अशोक जाटव से अभियुक्त जनकसिंह का पुराना हिस्सा बांट की रंजिश थी। दिनांक 10.11.16 को सुबह करीब दस बजे फरियादी अशोक दुकान पर बीड़ी लेने जा रहा था और घर के सामने आया तो वहां अभियुक्तगण मिले और मादरचोद बहनचोद की बुरी बुरी गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर अभियुक्त जनकसिंह ने पकड़ लिया और नारायण ने कुल्हाड़ी की मूंद तरफ से मारा जिससे सिर में घाव होकर खून निकला। फरियादी चिल्लाया तो उसके पिता दाताराम तथा भाई भगवानसिंह ने बचाया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-120/16 पंजीबद्ध किया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौराने

अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ़्तार की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 10.11.16 को 10 बजे आहत अशोक को घातक हथियार की कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान ग्राम कदमन का पुरा में फरियादी अशोक जाटव के घर के सामने फरियादी अशोक की मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रशरण में कुल्हाड़ी जिसके घातक हथियार के रूप में प्रयोग करने पर मृत्यु होना संभव थी, से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अशोक अ०सा० 1, दाताराम अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. फरियादी अशोकसिंह अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि अभियुक्तगण उसी के गांव के हैं जिनसे खेतीवाड़ी की बात को लेकर झगडा हो गया था। जब करीब 6 महीने पहले वह अपने घर के सामने बैठा था तो आरोपीगण आए और गाली गलोंच करने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने धक्का दे दिया जिससे वह चबूतरे की सीढ़ी पर गिर गया और उसके सिर में चोट आई। साक्षी इसी बात की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में किया जाना बताया है, रिपोर्ट प्र०पी० 1 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने तथा नक्शामौका प्र०पी० 2 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी उसकी चोटों का इलाज गोहद अस्पताल में कराए जाना बताते हैं। आहत अशोक अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में किसी अभियुक्त के द्वारा कोई धारदार अथवा घातक वस्तु जिससे कि मृत्यु कारित होना संभव हो, से चोट पहुंचाने के संबंध में कथन नहीं करते हैं, बल्कि धक्का मारकर चोट पहुंचाने का कथन करते हैं।

8. प्रकरण में आहत अशोक का पिता दाताराम अ०सा० 2 के रूप में प्रस्तुत हुआ जो अपने अभिसाक्ष्य में कथन करता है कि करीब 6 महीने पहले अशोक का आरोपीगण से मुंहवाद हो गया

जिसमें आरोपीगण ने धक्का दे दिया और चबूतरा लगने से अशोक को चोट आई थी। उक्त बात अशोक ने उसे खेत से लौटकर आने पर बताई थी। उसने अशोक की चोट देखी थी, यह भी कथन करता है। यह साक्षी भी सर्वप्रथम तो अभिकथित मारपीट के संबंध में उसके समक्ष घटना कारित होने का कोई भी समर्थन नहीं किया है, द्वितीयतः साक्षी द्वारा उसे आहत अशोक को आई चोट के संबंध में आहत अशोक द्वारा स्वयं धक्का मारने से चबूतरे की सीढ़ी पर चोट लगने की बात बताए जाने का कथन किया गया है जो कि अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता है। ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य का मात्र इतना भाग स्वीकार योग्य है कि उसने आहत अशोक को घटना के परिणाम अर्थात् चोटें होना देखी थीं।

9. प्रकरण में फरियादी अशोक द्वारा रिपोर्ट प्र०पी० 1 में यह तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है कि अभियुक्त जनकसिंह ने उसे पकड़ लिया था तथा अभियुक्त नारायणदास ने कुल्हाड़ी की मूंद उसके सिर में मारी थी। साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्नों में उक्त तथ्य से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त प्र०पी० 1 की रिपोर्ट व पुलिस कथन प्र०पी० 3 के विनिर्दिष्ट क्रमशः बी से बी व ए से ए भाग पर अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में धारदार व घातक वस्तु कुल्हाड़ी से स्वेच्छा चोट पहुंचाए जाने के तथ्य को लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। साक्षी दाताराम अ०सा० 2 ने भी पुलिस कथन प्र०पी० 4 के विनिर्दिष्ट भाग में उसके समक्ष अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाए जाने का तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार से अभियोजन साक्षियों द्वारा उनके पूर्वतन कथनों के विनिर्दिष्ट भाग में तथ्य लिखाए जाने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के अधीन सारवान विरोधाभास एवं लोप होना बताया है।

10. संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु असन, भेदन या धारदार वस्तु या क्षारीय वस्तु अथवा ऐसी घातक वस्तु जिसका इस प्रकार प्रयोग करने से मृत्यु कारित होना संभव है, के माध्यम से स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने के संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है। अभिलेख पर किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त या अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी धारदार वस्तु से उपहति कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है। यदि तर्क के लिए आहत को घटना दिनांक को चोट कारित होना प्रमाणित भी माना जाए तो उक्त चोट के संबंध में फरियादी के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। जहां तक पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं पुलिस कथन क्रमशः 3 व 4 का प्रश्न है तो उसके संबंध में सुस्थापित है कि वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं।  
न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य

अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तार के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

11. उपरोक्त विवेचन से यदि अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित होता भी है तो वह मात्र धारा 323 भादवि० का प्रमाणित होता है जिसके संबंध में फरियादी द्वारा राजीनामा कर अपराध का शमन कर दिया गया है। ऐसे में अभियुक्तगण दण्डित नहीं किए जा सकते हैं। प्रकरण में संहिता की धारा 324, 324/34 के अधीन अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर धारा 324, 324/34 भादवि० से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

13. प्रकरण में कोई संपत्ति कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट कर व्ययनित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/—

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिक उपयोग)